न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 423/2021 तारीख रजू :–04.10.2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

हरीसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–1.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थी/प्रतिवादी सं.4
2.श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण /वादीगण

निर्णय

दिनांक :– 30.03.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 4 ने दिनांक 11.03.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में विचाराधीन सम्पत्ति बाबत् एक वाद संख्या 144/2011 उनवानी श्यामलाल बनाम कमलादेवी वगैराह दिनांक 31.08.2020 को निस्तारित फरमाकर दावा डिक्री फ[illegible] उक्त [illegible] में एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत इस दावे में समान पक्षकार, समा[illegible]षय [illegible] होने के फलस्वरूप उक्त वाद चलने योग्य नहीं [illegible]

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि पूर्व वा[illegible] संख्या 144/2011 उनवानी श्यामलाल बनाम कमलादेवी वगैराह के आदेश तारीखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

31.08.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर कैम्प हिण्डौन में विचाराधीन है। ऐसी सूरत में वाद वादी रेसज्यूडिकेटा की तारीफ में आता है। अतः वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र आदेश 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं04 ने प्रार्थना पत्र आदेश 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील वादीगण/ अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निंवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी/ प्रतिवादी सं04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1294/972 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीमती दानकौर पत्नि मोहरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0हिण्डौन खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण ने उक्त मुकदमा नं0 423/2021 उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा इस न्यायालय में विवादित आराजीयात खसरा नं0 972 रकबा 1.33 है0, 1045 रकबा 0.09 है0, 1058 रकबा 0.12 है0, 1070 रकबा 0.05 है0, 1132 रकबा 0.05 है0, 1120 रकबा 0.06 है0, 1042 रकबा 0.08 है0, 1057 रकबा 0.15 है0, 1071 रकबा 0.06 है0, 1131 रकबा 0.06 है0, 1122 [illegible] है0, 1061 रकबा 0.13 है0, 1062 रकबा 0.08 है0, 1063 रकबा 0.11 है0, 1064 [illegible] है0, 1068 रकबा 0.15 है0, 1126 रकबा 0.10 है0, 1127 [illegible] 1125 रकबा 0.16 है0, वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन के बाबत् पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 144/2011 उनवानी श्यामलाल वगैराह बनाम कमलादेवी वगैराह दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2020 के अनुसार उक्त मुकदमा को दिंनाक 06.09.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नादौती को 500/–रूपया मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये कि खाता संख्या 209 के खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.05 है0,1135 रकबा 0.17 है0, 1136 रकबा 0.15 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.37 है0, खाता संख्या 210 के खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.25 है0, 1100 रकबा 0.12 है0, 1101 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0, खाता संख्या 211 के खसरा नम्बर 972 रकबा 1.33 है0, 1071 रकबा 0.06 है0, 1072 रकबा 0.06 है0, 1074 रकबा 0.06 है0, 1075 रकबा 0.22 है0, 1120 रकबा 0.06 है0, 1121 रकबा 0.05 है0, 1222 रकबा 0.43 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.27 है0, खाता सं0 212 के खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.07 है0, 1059 रकबा 0.09 है0, 1061 रकबा 0.13 है0, 1064 रकबा 0.18 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 है0, खाता संख्या 214 के खसरा नम्बर 949 रकबा 0.15 है0, 1065 रकबा 0.15 है0, 1066 रकबा 0.13 है0, 1067 रकबा 0.11 है0, 1068 रकबा 0.15 है0, 1069 रकबा 0.19 है0, 1070 रकबा 0.05 है0, 1073 रकबा 0.24 है0, 1096 रकबा 0.10 है0, 1097 रकबा 0.22 है0, 1098 रकबा 0.07 है0, 1099 रकबा 0.08 है0, 1122 रकबा 0.07 है0, 1123 रकबा 0.12 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 1125 रकबा 0.10 है0, 1126 रकबा 0.10 है0, 1127 रकबा 0.25 है0, 1128 रकबा 0.16 है0, 1129 रकबा 0.09 है0, 1130 रकबा 0.07 है0, 1146 रकबा 0.37 है0, 1220 रकबा 0.30 है0, कुल [illegible] कुल रकबा 3.48 है0 एवं खाता संख्या 215 के ख[illegible] 1042 रकबा 0.08 है0, 1045 रकबा 0.09 है0, 1046 रकबा 0.13 [illegible] 1049 रकबा 0.10 है0, 1057 रकबा 0.15 है0, 1058 रकबा 0.12 है0, 1062 [illegible]बा 0.08 है0, 1063 रकबा 0.11 है0, 1284/950 रकबा 0.15 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन स्थित आराजीयात

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवार मीट्स एवं बाउण्ड के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार हिण्डौन को मौका कमिश्नर नियुक्त करते हुए उपरोक्त आराजीयात में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजीयात के विभाजन के प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के 2 प्रतियों में तलब किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2016 की अपील वादीगण श्यामलाल वगैराह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील सं0 19/2017 उनवानी श्यामलाल बनाम कमलादेवी वगैराह पेश की। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने उक्त प्रकरण को दिनांक 17.11.2017 को अदम तकमील में खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील वादीगण श्यामलाल वगैराह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 412/2018 पेश की, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 06.02.2018 को अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर का आदेश दिनांक 17.11.2017 को खारिज कर दिया गया तथा वादीगण को दिनांक 15.02.2018 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर ने उक्त अपील को पुनः दिनांक 20.04.2018 को पुनः खारिज कर दिया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक एलआर/2017/1950 दिनांक 24.01.2017 से बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में प्राप्त हुई। जिस पर वादीगण ने दिनांक 20.01.2020 को तहसीलदार से प्राप्त उक्त बंटवारा स्कीम के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति [illegible] दिनांक 17.03.2020 को वादीगण के प्रार्थना पर बाद सुनवाई तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम दिंनाक 24.01.2017 को निरस्त कर दिया गया तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये गये कि मुताविक प्राथमिक डिकी पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बंटवारा स्कीम तैयार कर 2 प्रतियों में न्यायालय में पेश करें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार हिण्डौन ने पत्रांक एलआर/2020/752 दिंनाक 24.08.2020 के द्वारा बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में न्यायालय में प्राप्त होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 24 के अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अभिभाषकगण की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादी सं024 के अधिवक्ता ने दौराने बहस मुताविक बंटवारा स्कीम दावा डिक्री करने का निवेदन किया। जिसके दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम दिनांक 24.08.2020 के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.17 है0, 1121 रकबा 0.05 है0, 1057 रकबा 0.15 है0, 1058 रकबा 0.12 है0, 1062 रकबा 0.08 है0, 1063 रकबा 0.11 है0, 1061 रकबा 0.13 है0, 1064 रकबा 0.18 है0, 1059 रकबा 0.09 है0, 1065 रकबा 0.15 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.23 है0 वाके मुकन्दपुरा का श्यामलाल, बृजमोहन पिसरान रघुनाथ जाति माली निवासी खजूरवाडा हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राहिन एस.बी.आई. हिण्डौन का नोट उक्त खसरा नम्बरान कुल किता 10 कुल रकबा 1.23 है0 पर बदस्तूर दर्ज किया जावे। खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.13 है0, 1067 रकबा 0.11 है0, 1068 रकबा 0.15 है0, 1122 रकबा 0.07 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है0 वाके मुकन्दपुरा का सुनील, गोलू पि0 प्रधान मु0 वेदो पत्नि प्रधान हि01/3 नि0 खिजूरवाडा हिण्डौन रामबाई पुत्री बूची पत्नि मोहरसिंह हि01/3 सोनबाई पुत्री बूची हि01/3 जाति माली निवासी मालीखेडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राहिन एस.बी.आई. हिण्डौन का नोट उक्त खसरा नम्बरान कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है0 पर बदस्तूर [illegible] जावे। खसरा नम्बर 1096 रकबा 0.10 है0, 1097 रकबा 0.22 है0, 10[illegible] रकबा 0.07 है0, 1099 रकबा 0.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का धनसिंह धर्मसिंह महेश नाहरी धनपाल पि0 मंगल मु0 निरी पुत्री मंगल मु0 विसनी बेबा मंगल हि0बराबर जाति माली निवासी खिजूरवाडा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राहिन एस.बी.आई. हिण्डौन का नोट उक्त खसरा नम्बरान कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 है0 पर बदस्तूर दर्ज किया जावे। खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.19 है0, 1073 रकबा 0.24 है0, 1134 रकबा 0.05 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.48 है0, वाके ग्राम मुकन्दपुरा का हरीसिंह कलुआ दौजी पिसरान लटूर हि0 3/4, के हिस्से में तथा सुरेश प्रकाश पिसरान ग्यासी बुद्धो बेबा ग्यासी हि0बराबर हि01/4 जातियान माली निवासी खिजूरवाडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.15 है0 ग्राम मुकन्दपुरा का कमलादेवी पत्नि झम्मनलाल जाति माली निवासी मेहदीवाडा हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का करनसिंह रामू पिसरान टुण्डाराम जाति माली निवासी खिजूरवाडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का सुरजो पत्नि मांगी जाति माली निवासी बैधवाडा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.16 है0, 1100 रकबा 0.12 है0, 1101 रकबा 0.13 है0, 1072 रकबा 0.06 है0, 1074 रकबा 0.06 है0, 1075 रकबा 0.22 है0, 1120 रकबा 0.06 है0, 1222 रकबा 0.43 है0, 1071 रकबा 0.06 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का वी.पी.सिंह पुत्र रामखिलाडी, लालसिंह पुत्र रामखिलाडी हि02/5, मुन्नी पत्नि भरतसिंह रेशम पत्नि महाराजसिंह सीमा पत्नि कुमरसिंह हि03/5 जाति माली निवासी कोंडरा तहसील महवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का रूपसिंह, शिवसिंह छगनलाल देवेन्द्र पिस0 रामकिशोर, उगन्ती पत्नि रामकिशोर, गुड्डी सोनबाई पुत्रियॉ रामकिशोर हि01/[illegible] रामरती पिसरान हीरालाल, दिरो पुत्री हीरालाल हि0[illegible] जाति माली निवासी बंधवाडा हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.07 है0, 1124 रकबा 0.21 है0, 11[illegible] रकबा 0.10 है0, 1126 रकबा 0.10 है0, 1127 रकबा 0.25 है0, 1130 रकबा 0.07 है0, कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किता 6 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा को देवीसिंह बाबू महेश मुकेश मानसिंह पि0 छज्जू केलो बेबा छज्जू हि01/2, सुशीला बेबा जयनारायण हि01/2 जाति माली सा0देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 972/1 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का श्रीमती दानकौर पत्नि मोहरसिंह जाति गुर्जर निवासी बडी बाखर हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.12 है0, 1042 रकबा 0.08 है0, 1045 रकबा 0.09 है0, 1046 रकबा 0.13 है0, 1049 रकबा 0.10 है0, 1284/950 रकबा 0.15 है0, 949 रकबा 0.15 है0, 1070 रकबा 0.05 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 0.87 है0वाके ग्राम मुकन्दपुरा का रतीराम पुत्र कैलावकस, सुक्की बेबा केलाबक्स जाति माली सा0देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 972/2 रकबा 0.19 है0, 1146 रकबा 0.37 है0, 1220 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.86 है0 वाके ग्राम मुकन्दपुरा का रामपति बेबा रामस्वरूप जाति माली सा0देह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा पक्षकारान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है उपरोक्त वर्णित खातेदारी में पक्षकार अपने अपने हिस्से में काबिज काश्त रहेंगे तथा एक दूसरे की उपरोक्त वर्णित खातेदारी में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय करेंगे और ना ही किसी अन्य से करावेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व सीट में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति मय बंटवारा स्कीम के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे तथा एस.बी.आई. शाखा हिण्डौन को निर्णय व डिक्री की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से आदेशिका एवं अपील की प्रति के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर मुकदमा नं0 62/2021 उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह अपील उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय व डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध पेश की है। जो वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

प्रतिवादी सं04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत आदेशिका एवं अपील की प्रति के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर मुकदमा नं0 58/2021 उनवानी वी.पी.सिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह अपील उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2020 एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2016 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन व उनवानी श्यामलाल बनाम कमला मुकदमा नं0 114/2011 दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध पेश की है। जो वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

प्रतिवादी सं04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत आदेशिका एवं अपील की प्रति के अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर मुकदमा नं0 56/2021 उनवानी श्यामलाल वगैराह बनाम सुनील वगैराह अपील उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2020 एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2016 न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन व उनवानी श्यामलाल बनाम कमला मुकदमा नं0 114/2011 दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध पेश की है। जो वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में विचाराधीन मुकदमा नं0 423/2021 उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं पूर्व में इसी न्यायालय से मुकदमा नं0 114/2011 उनवानी श्यामलाल वगैराह बनाम कमला देवी वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 06.09.2016 को प्राथमिक निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.09.2016 की अपील वादीगण श्यामलाल वगैराह ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील सं0 19/2017 उनवानी श्यामलाल बनाम कमलादेवी वगैराह पेश की। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने उक्त प्रकरण को दिनांक 17.11. 2017 को अदम तकमील में खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील वादीगण श्यामलाल वगैराह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 412/2018 पेश की, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 06.02.2018 को अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर का आदेश दिनांक 17.11.2017 को खारिज कर दिया गया तथा वादीगण को दिनांक 15.02.2018 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिये गये।उक्त आदेश की पालना में माननीय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर ने उक्त अपील को पुनः दिनांक 20.04.2018 को पुनः खारिज कर दिया गया। जिसके पश्चात उक्त प्रकरण इस न्यायालय में पुनः सुनवाई के आधार पर एवं तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर दिनांक 31.08.2020 को फाईनल डिक्री जारी की गई है। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील नं0 62/2021उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल व[illegible] सं0 58/2021 उनवानी वी.पी.सिंह वगैराह बनाम [illegible] अपील उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन एवं अपील नं0 [illegible] उनवानी श्यामलाल वगैराह बनाम सुनील वगैराह अपील उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2020 एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2016

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन व उनवानी श्यामलाल बनाम कमला मुकदमा नं0 114/2011 दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध पेश की है। जो वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहॉ विचाराधीन है।उक्त अपीलों में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है।

वादीगण/ अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद एवं पूर्व में इस न्यायालय से मुकदमा नं0114/2011 उनवानी श्यामलाल वगैराह बनाम कमला देवी वगैराह दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा निर्णित दिनांक 31.08.2020 में समान पक्षकार, समान आराजीयात एवं समान रिलीफ होने के कारण उक्त प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। क्योंकि वादीगण ने जिन आराजीयात का उक्त मुकदमा इस न्यायालय में पेश किया गया है, उन आराजीयात का मुकदमा इसी न्यायालय से पूर्व में दिनांक 31.08.2020 को फाईनल डिक्री किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय की अपील भी वादीगण के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ तीन अपील पृथक पृथक की हुई है। इस मुकदमा नम्बर 423/2021 उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा के वादी सं01 लगायत 8 पूर्व के मुकदमा नं0 114/2011 में भी वादीगण ही थे। इसलिए उन्हीं वादीगणों के द्वारा अन्य सहखातेदारों/ पूर्व के प्रतिवादीगणों को साथ में मिलाकर मुकदमा नं0 423/2021 उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का उसी आराजीयात के बाबत् गलत रूप से पेश किया गया है, जो नियमों के विरूद्ध है। अर्थात वादीगण का उक्त वाद रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त की परिधि में आने के कारण रिजेक्ट किया जाकर खारिज योग्य न्यायोचित है। ऐसे हालात में प्रतिवादी सं04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 11 सपठित धारा 151 स्वीकार योग्य न्या[illegible]ीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी/ प्रतिवादी सं04 की ओर से दिनांक 11.03.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 खिलाफ वादीगण/ अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद मुकदमा नं0 423/2021 उनवानी हरिसिंह वगैराह बनाम श्यामलाल वगैराह दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजीयात खसरा नं0 972 रकबा 1.33 है0, 1045 रकबा 0.09 है0, 1058 रकबा 0.12 है0, 1070 रकबा 0.05 है0, 1132 रकबा 0.05 है0, 1120 रकबा 0.06 है0, 1042 रकबा 0.08 है0, 1057 रकबा 0.15 है0, 1071 रकबा 0.06 है0, 1131 रकबा 0.06 है0, 1122 रकबा 0.07 है0, 1061 रकबा 0.13 है0, 1062 रकबा 0.08 है0, 1063 रकबा 0.11 है0, 1064 रकबा 0.18 है0, 1068 रकबा 0.15 है0, 1126 रकबा 0.10 है0, 1127 रकबा 0.25 है0, 1128 रकबा 0.16 है0, वाके ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन को अन्तर्गत आदेश 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 30.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested